04/18 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 04/2018 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर

20–02–2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से चाही गई सूचनांए उनके द्वारा जान बूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

एक व्यक्ति का वोट बन जाने के पश्चात जिस स्थान पर उसका वोट बना है उस स्थान से लगभग 15–20 वर्षो से निवास न करने की स्थिती में उस व्यक्ति का वोट के अस्तित्व में रहने, विलोपन मे होने की स्थिती के बाबत सूचना लिखित रूप में व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपीलपत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या सूकाअ/2016/3365 दिनांक 29.01.2018 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही सूचना प्रश्नवाचक उनके कार्यालय के पत्र संख्या 3007 दिनांक 02.11.2017 के द्वारा पंजिकृत डाक से उपलब्ध करवा दी गई है, जिसके द्वारा प्रार्थी को अवगत करवाया गया था कि आप कार्यालय में उपलब्ध प्रकरण से संबंधित अभिलेखो का निरीक्षण कर किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर प्राप्त कर सकते है परन्तु प्रार्थी ने अभिलेखो के निरीक्षण हेतु उनके कार्यालय में उपस्थित नही हुआ किन्तु सीधे ही अपील दायर कर दी है। इसलिए अपील खारिज करने योग्य है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या सकाअ/2017/3007 दिनांक 21.11.2017 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

क्र.सं.	वांछित सूचना	प्रतिउत्तर
1.	एक व्यक्ति का वोट बन जाने के पश्चात जिस स्थान पर उसका वोट बना है उस स्थान से लगभग 15–20 वर्षो से निवास न करने की स्थिती में उस व्यक्ति का वोट के अस्तित्व में रहने, विलोपन में होने की स्थिती के बाबत सूचना लिखित रूप में व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।	जहां तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री, अभिलेख, ज्ञापन, ईमेल, मत सलाह नमूने मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूंकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
	यदि आप प्रकरण से सम्बन्धित किसी अभिलेख का अवलोकन करना चाहें तो कार्यालय दिवस में कर सकते है और चिन्हित रिकार्ड की प्रतिलिपि नियमानुसार प्राप्त कर सकते है।	

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निश्चित नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। **सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 02.11.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी उसके द्वारा वांछित सूचना के संबंध में उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण कर उसमें से कोई सूचना लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर